आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14.3.18		

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

R.M.A.-09/2013-14 निजावत अन्सारी बनाम लतीफ मियाँ एवं अन्य

बनाम

R.M.A.-13/2013-14 लतीफ मियाँ बनाम महादेव महतो एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत दोनों वादो को दिनाकं 20.11.2014 को सम्बद्ध किया गया है। प्रस्तुत दोनो वाद अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A.Case no.02/2004-05 में दिनांक 30.08.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P.A.Case no.02/2004-05 में दिनांक 30.08.13 द्वारा पारीत आदेश के आलोक में श्री महादेव महतो, पिता–स्व0 देवु महतो साकिन–ताराबहाल को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा ताराबहाल का प्रधान नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा अपील दायर किया गया। इन अपील वाद के लांबित रहने की अवधि में ही अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–54/रा0 दिनांक–08.03.2016 के द्वारा श्री महादेव महतो, ग्राम प्रधान मौजा–ताराबहाल को प्रधान पद के बर्खास्तगी हेतु प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उपायुक्त के न्यायालय के वाद P.D.Case no.01/2014-15 में दिनांक 30.11.17 को पारित आदेश के आलोक में मौजा–ताराबहाल के ग्राम प्रधान श्री महादेव महतो को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं निम्न न्यायालय के वाद अभिलेख को संबंधित न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, 14/3
जामताड़ा।

उपायुक्त, 14/3/18
जामताड़ा।

DB 108 dt-8/1/018

14.3.18

Scanned with CamScanner